2058

संख्याः–588/XIV–1/2014–5(18)/2010

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभागः–1 देहरादून दिनांक 23 जून, 2014

विषयः–पर्वतीय क्षेत्र के जनपदों हेतु उर्वरक परिवहन पर राज सहायता मद में वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र संख्याः–455/नियोजन–उर्वरक/2014–15, दिनांक 22 अप्रैल, 2014 एवं वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत करने सम्बन्धी वित्त विभाग के पत्र संख्याः–318/XXVII (1)/2014 दिनांक 18 मार्च 2014 व अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–80/अ0मु0स0/पी0एस0/2014–15 दिनांक 23 अप्रैल, 2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पर्वतीय क्षेत्र में उर्वरक आपूर्ति के लिए रेल हैड से सहकारी समिति के गोदामों/बिक्री केन्द्रों तक परिवहन–व्यय पर राज सहायता मद में प्राविधानित **₹1,00,00,000/–(रूपये एक करोड़ मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) संस्था/समितियों द्वारा ₹10.00 प्रतिटन परिवहन व्यय वहन किया जायेगा, जिसकी समग्र सूचना वित्तीय वर्ष के अन्त में शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय न किया जाय। उक्त धनराशि की जनपदवार फॉट यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध कराई जाय।

(3) उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र, योजनान्तर्गत पर्वतीय जनपदों में जनपद–वार लक्ष्य के सापेक्ष वितरित उर्वरक की मात्रा, मैदानी जनपदों के सापेक्ष पर्वतीय जनपदों में वितरित उर्वरक की मात्रा, लाभान्वित सदस्यों की संख्या तथा प्रति मैट्रिक टन उर्वरक परिवहन दर की सूचना निर्धारित प्रारूप एवं प्रपत्र पर शासन व महालेखाकार, उत्तराखण्ड को उपलब्ध करायी जाएगी।

(4) सभी कार्यक्रमों के वार्षिक एवं मासिक लक्ष्यों का जनपदवार निर्धारण भी तत्काल कर लिया जाय तथा फील्ड स्तर पर भी निर्धारित किये गये लक्ष्यों की सूचना शासन को उपलब्ध करायी जाए। पर्वतीय जनपदों की समितियों द्वारा कृषकों को उर्वरक आपूर्ति/उपलब्धता की पुष्टि निबन्धक एवं मुख्य कृषि अधिकारी द्वारा की जाए।

(5) वित्त विभाग के पत्र संख्या–318/XXVII (1)/2014 दिनांक 18 मार्च 2014 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा चालू वित्तीय वर्ष हेतु निर्धारित भौतिक लक्ष्य समयबद्ध आधार पर प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाए।

कमशः

(6) उक्त धनराशि का उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अन्य मद में किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी इसके लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

(7) धनराशि का योजनावार मासिक व्यय विवरण प्रत्येक माह या ठीक अगले माह की 5 तारीख तक नियमित रूप से बी0एम0–8 प्रपत्र पर वित्त विभाग/प्रशा0विभाग तथा महालेखाकार, उत्तराखण्ड को भिजवाना सुनिश्चित करें।

(8) उक्त व्यय शासन के वर्तमान में लागू सुसंगत आदेशों के अनुसार किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जाय की उक्त धनराशि को किसी ऐसे कार्य/मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिये वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित हो। व्यय करते समय मितव्ययता सम्बन्धी समय–समय पर जारी आदेशों एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित सुसंगत नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के अनुदान संख्या–18 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2425–सहकारिता–आयोजनागत–00–800–अन्य व्यय–09–उर्वरक परिवहन पर राज सहायता–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

3– उपर्युक्त आदेश वित्त विभाग की अशा0 संख्या–03(p)/XXVII(4)/2014 दिनांक 19 मई, 2014 द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के क्रम में जारी किए जा रहे हैं।

संलग्नक–आई0डी0 मूल में।

भवदीय,

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव।

588
संख्याः– (1)/XIV–1/2014, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, ओबरॉय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. वित्त अनुभाग–4/नियोजन विभाग/भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. मण्डलायुक्त, कुमायूं/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड।
5. बजट निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. प्रभारी निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. प्रभारी मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव।

budget release 2014-15